न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/251/2016

उनवान

1. प्यारा आत्मज श्रीराम बलाई निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. देबी आत्मज श्रीराम बलाई निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. भैरू आत्मज श्री गोमा बलाई निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4. प्यारा आत्मज गौरू बलाई निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ, जिला भीलवाडा
2. बनवारी लाल आत्मज देवी लाल छीपा निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. घीसू लाल आत्मज रामचन्द्र छीपा निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 41/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.6.2016

——

अधिवक्तागण :–

1. श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अमित कोठारी ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 2 व 3
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक 17.7.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी लोक सेवक होकर राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार भीलवाडा के पद पर पदासीन होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 7 नियम 11 के अन्तर्गत वाद निम्न प्रकार से प्रस्तुत करता है :–

यह कि वाके ग्राम हमीरगढ तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी खसरा नम्बर 1332 , 1336, 1337, 1338, 1339, 1342, किता 6 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा संवत 2061 से 2064 खाता नम्बर 1139 चारभुजा जी स्थानदेह कबीरद्वारा अभिलिखित होकर मंदिर मूर्ति की भूमि है। उक्त आराजियात जो कि मंदिर मूर्ति देवस्थान की होकर कानून में मूर्ति को शास्वत नाबालिग माना गया है । उस पर प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.2.2008 को बलपूर्वक बिना वैध प्राधिकार के कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है, जो विधि विरूद्ध है। काश्तकारी अधिनियम 1955 में अंकित प्रावधानों के अनुसार मंदिर मूर्ति देवस्थान को अवयस्क माना गया है और अवयस्क के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है इस प्रकार प्रतिवादीगण मंदिर मूर्ति देवस्थान अवयस्क की भूमि पर विधि के विरूद्ध अतिक्रमण कर लिया है। जो हटाया जाकर कब्जा वादी/प्रार्थी/मंदिर के ट्रस्टी/व्यवस्थापक को सुपुर्द करया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण द्वारा मंदिर मूर्ति पर अतिक्रमण करने की जानकारी हल्का पटवारी हमीरगढ द्वारा दिनांक 15.12.2008 को मौके पर जाकर तहकीकात करने पर हुई जिससे यह वाद हेतुक व तारीख जानकारी के अनुसार वाद पत्र अन्दर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अवधि प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि वाके ग्राम हमीरगढ तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1332 , 1336, 1337, 1338, 1339, 1342, किता 6 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा लगानी 64 रूपये 22 पैसे पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल करा कब्जा वादी/प्रार्थी/मंदिर मूर्ति ट्रस्टी/व्यवस्थापक को सुपुर्द कराने के आदेश प्रदान कराये जावें तथा प्रतिवर्ष भूमि से होने वाली आय का नियमानुसार प्रतिवादीगण से राशि वसूल करा वादी/प्रार्थी/मंदिर मूर्ति ट्रस्टी/व्यवस्थापक को भुगतान कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण में अपलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 24.5.2011 को जवाब दावा एवं कोस सूट प्रस्तुत किया था। उसके उपरान्त प्रकरण में प्रस्तुत कोस सूट का वादी राजस्थान सरकार द्वारा जवाब हेतु अवसर लिया जाकर प्रकरण कोस सूट के जवाब की स्टेज पर नियत होकर वादी की ओर से पेशियॉ लिये जाने और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दी जाती है तथा दिनांक 30.6.2016 को प्रकरण में पेशी इसी स्टेज पर नियत थी। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 24.5.2011 को जवाब दावा एवं कोस सूट प्रस्तुत करने के बाद केवल दिनांक 5.7.2011, 20.9.2011 एवं 8.5.2012 तथा 9.4.2013

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को ही पीठासीन अधिकारी महोदय अदालत में बैठे और उक्त दिनांकों को फर्द अहकाम क्रोस सूट के जवाब हेतु लंबित रहा । इस प्रकार प्रकरण में गलत तौर पर बिना जवाब, तनकी कायम किये, साक्ष्य एवं बहस का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने का कोई विवरण अंकित नहीं किया है एवं न ही तनकियात कायम की है। उसक बावजूद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने ट्रस्टी प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा बिना ट्रस्ट डीड के रेकार्ड पर प्रस्तुत किये ही उन्हें कब्जा दिये जाने का निर्णय पारित करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक अतिक्रमी से कब्जा हटावाया जाकर दूसरे अतिक्रमी को कब्जा सुपुर्द करने का आदेश पारित किया है। जब तक पत्रावली पर रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड प्रस्तुत होकर प्रदर्श/मार्क नहीं हो जाता तब तक ट्रस्ट की कल्पना करना मात्र दिवा स्वप्न जैसा है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल की है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा एवं क्रोस सूट प्रस्तुत किया था। जब तक क्रोस सूट का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है। क्रोस सूट की प्लीडिंग का अपीलाधीन निर्णय में कोई उल्लेख भी नहीं किया गया है। क्रोस सूट को खारिज किये जाने हेतु भी कोई विवेचन नहीं किया है। जबकि क्रोस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सुट के अनुसार अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है उक्त आराजी पर भू प्रबन्ध से पूर्व यानि 150–200 वर्षो से अपीलार्थीगण के पूर्वज काबिज थे। अपीलार्थीगण के पूर्वज कबीरमार्गीय विचारधारा एवं पंथ को मान्यता रखने के कारण पुजारी हरिदास गुरू किशोरदास महाराज के साथ अपीलार्थीगण अपीलार्थीगण के पूर्वज हरिराम आत्मज शोला जी बलाई खातेदार काश्तकार थे। उन्हीं के समय से कब्जाकाश्त अबाध्य निरन्तर चला आ रहा है। अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था जिस वजह से अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विधिक शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि न्यायालय द्वारा न्याय प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि न्याय होते हुए दिखना चाहिये । प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक विवेक का प्रयोग किये आनन–फानन में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को सुनवाई हेतु केम्प में पेशी नियत करने हेतु कोई सूचना अपीलार्थीगण को प्रेषित नहीं की तथा दिनांक 30.6.2016 को पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 12.7.2016 हो हुई उसके बाद निर्णय व डिक्री की प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर रेकार्ड उपलब्ध होने पर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय मे प्रत्यर्थी/वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था। जिसमें वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थीगण का अवैध कब्जा बताते हुए वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादी/मंदिर मूर्ति को दिलाये जाने का निवेदन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 3.2.2009 को पंजिबद्ध किया गया । दिनांक 31.3.2009 को प्रकरण मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया । दिनांक 19.5.2010 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर प्रकरण में प्रार्थीगण को प्रतिवादी के रूप में संस्थित किये जाने का निर्देश दिया गया एवं संशोधित टाईटल प्रस्तुत करने एवं जवाब दावा हेतु प्रकरण दिनांक 22.6.2010 को नियत किया गया । दिनांक 24.5.2011 को प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एंव इसी दिनांक को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाब दावा एव क्रोस सूट प्रस्तुत किया गया । उसके उपरान्त प्रकरण क्रोस सूट के जवाब में लंबित रहा ।

12. आदेशिका दिनांक 6.4.2016 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त रहने से प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.7.2016 नियत की गई। परन्तु दिनांक 13.7.2016 से पूर्व ही दिनांक 30.6.2016 को पत्रावली केम्प कोर्ट हमीरगढ पर रखी गई। उक्त प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने से पूर्व प्रतिवादीगण को नोटिस/सम्मन द्वारा सूचित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं किया गया । प्रकरण में राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त प्रकरण में तनकियात कायम की जाने के उपरान्त उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवाईज गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। प्रकरण में क्रोस सुट भी लंबित था ऐसी स्थिति में क्रोस सूट पर वादी का जवाब लेने के उपरान्त क्रोस सुट का भी निस्तारण अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व किया जाना चाहिये था।

13. अपीलाधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार करने के उपरान्त प्रार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 5 के रूप में संयोजित किये जाने का आदेश पारित किया गया । परन्तु अपीलाधीन निर्णय में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम अंकित नहीं किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा भी जवाब दावा प्रस्तुत किया गया थां।

14. अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में चारभुजा जी स्थान देह के विकास हेतु ट्रस्ट बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा मंदिर हेतु ट्रस्ट होने का कथन किया गया है। कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर मण्डल द्वारा ट्रस्ट को पंजीकृत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेज का अवलोकन भी नहीं किया गया है।

15. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं न ही क्रोस सुट का निस्तारण ही किया गया है । प्रतिवादी संख्या 5 को निर्णय पारित किये जाते समय पक्षकार संयोजित भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

नहीं किया गया है। जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया गया है। मूल वाद में उभयपक्ष के हक हितों का अंतिम तौर पर बाद साक्ष्य सुनवाई के निस्तारण किया जाता है परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

16. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है जवाब दावा एवं क्रोस सुट के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करें । चूंकि मंदिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है तथा संरक्षक की स्थिति स्पष्ट नहीं है, अतः विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार हमीरगढ को निर्देशित किया है कि ग्राम हमीरगढ की आराजी नम्बर 1332, 1336, 1337, 1338, 1339, 1342 रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा का मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु कब्जा राज्यहित में तहसील सरकार लिया जावे। चूंकि अपीलाण्टगण का चारभुजा जी स्थान देह कबीरद्वाराके संरक्षक होने बाबत कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली पर नहीं है, अतः अपीलाण्टगण को चारभुजाजी स्थान देह कबीरद्वारे का संरक्षक इस स्तर पर नहीं माना जा सकता । चारभुजा जी स्थान देह के विकास हेतु ट्रस्ट बनाने अथवा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संरक्षक/पुजारी घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, अतः विधिवत रूप से संरक्षक/पुजारी घोषित होने अथवा खातेदारी अधिकारों बाबत कोई विपरीत निर्णय होने तक विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार तहसीलदार , हमीरगढ को संरक्षक रखा जाकर मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु कब्जा राजहित में तहसील सरकार लिये जाने की हद तक निर्णय यथावत रखा जाता है। अपील आंशिक स्वीकार किया जाकर इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को सुना जाकर गुणावगुण पर विस्तृत आदेश पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 28.8.19 को उपस्थित रहे।

17. निर्णय आज दिनांक 17.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

17/7/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा